



## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/ HEAD OFFICE

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066

Website : www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या: हि.अ./वा.मूरि./2024-25/मुख्यालय / 1325

दिनांक: 11-04-2025

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक (जोनल) कार्यालय,

प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय,

निदेशक- पीडीनास, सभी प्रभारी अधिकारी, आं.प्र.सं. एवं उप आं.प्र.सं.

विषय: राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जैसा कि ज्ञात है प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर क.भ.नि.सं के सभी कार्यालयों की राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समेकित कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भेजी जानी अपेक्षित है। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित की जानी है। रिपोर्ट हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा इस पत्र के साथ संलग्न है। आंचलिक कार्यालयों/ पीडीनास द्वारा रिपोर्ट के सुगम समेकन हेतु मुख्यालय द्वारा बनाई गई एक्सेल शीट्स (soft copy) भी संलग्न हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय/ आं.प्र.सं. एवं उप आं.प्र.सं. कृपया अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रोफॉर्मा में संबंधित आंचलिक कार्यालय/पीडीनास को 17.04.2025 तक भेजना सुनिश्चित करें तथा आंचलिक कार्यालयों/पीडीनास से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अपने स्तर पर आंकड़ों को एक्सेल शीट्स में समेकित कर रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 तक मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने की व्यवस्था करें ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क.भ.नि.सं. की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रेषित की जा सके।

भवदीया,

संलग्न: वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रपत्र एवं एक्सेल शीट्स

(वीणा रानी यादव)

निदेशक (राजभाषा) मुख्यालय

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का संशोधित प्रोफॉर्मा

वर्ष:

मंत्रालय/विभाग का नाम:

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम का नाम:

संबंधित राजभाषा अधिकारी का दूरभाष नं.

क्षेत्र (क, ख, या ग)

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी किए गए कागजात:

(क) जारी कागजात की कुल संख्या

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात

2. हिंदी में पत्राचार (राजभाषा नियम-5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्र

(ख) कितनों का उत्तर हिंदी में दिया गया

(ग) कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया

(यह सूचना कार्यालय पद्धति मैनुअल अध्याय-4 पैरा 12(1) द्वारा निर्धारित डायरी रजिस्टर से दी जाए।)

3. मूल पत्राचार-पत्रादि

(क) हिंदी में भेजे गए

(ख) अंग्रेजी में भेजे गए

(ग) द्विभाषी रूप में भेजे गए

4. फाइलों पर हिंदी में कार्य

(क) वर्ष के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की कुल संख्या

(ख) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या

(ग) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या

5. अधिकारियों/कर्मचारियों की राजभाषा हिंदी के ज्ञान की स्थिति

(क) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या

(ख) उपर्युक्त (क) में से हिंदी का कार्यसाधक या उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

(ग) उपर्युक्त (ख) में से हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

(घ) उपर्युक्त (क) में से कितने अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का प्रशिक्षण पा रहे हैं

(ङ.) हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

6. टंकक/आशुलिपिक

(क) कुल संख्या

(ख) जो दोनों भाषाओं (हिंदी-अंग्रेजी) में टंकण/आशुलिपि करना जानते हैं

(ग) जो अंग्रेजी टंकण/आशुलिपि का कार्य करना जानते हैं

(घ) कार्यालय में कुल टंकण/आशुलिपि कार्य की तुलना में हिंदी टंकक/आशुलिपि कार्य की प्रतिशतता

7. कंप्यूटर/लैपटॉप आदि से संबंधित विवरण तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण की स्थिति

- (क) कंप्यूटर/लैपटॉप की कुल संख्या  
(ख) हिंदी में काम करने की सुविधायुक्त  
(ग) यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर/लैपटॉप की संख्या  
(घ) केवल अंग्रेजी में काम करने की सुविधायुक्त  
(ङ.) कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या  
(च) कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

8. वेबसाइट की उपलब्धता

- (क) वेबसाइट आंशिक रूप से हिंदी में - हां/नहीं  
(ख) वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी रूप में - हां/नहीं  
(ग) वेबसाइट केवल अंग्रेजी में - हां/नहीं

9. संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए अनुभागों की विनिर्दिष्ट करने से संबंधित स्थिति

- (क) कुल अनुभागों की संख्या  
(ख) हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या

10. राजभाषा कोड/मैनुअल की उपलब्धता

(सांविधिक/कार्यालयीन/तकनीकी साहित्य)

क्र.सं.	श्रेणी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	द्विभाषी अथवा हिंदी में न होने के कारण
1	अधिनियम/नियम					
2	कार्यालयीन कोड/मैनुअल					
3	मानक फॉर्म					
4	तकनीकी साहित्य					
5	प्रशिक्षण साहित्य/सामग्री					
6	अन्य प्रकाशन					
	कुल योग					

1. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें

वर्ष के दौरान हुई शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की संख्या

(ख) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाई पूरी तरह से हिंदी में की गई

12. मंत्रालय/विभाग आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

वर्ष के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गईं

13. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का संक्षिप्त द्विभाषी विवरण

- मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
- अध्यक्ष का नाम:
- पदनाम
- दूरभाष सं.
- फैक्स सं.
- ई-मेल

विशेष टिप्पणी: यह रिपोर्ट राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने की दशा में लौटा दी जाएगी। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।